पत्रांक 577 /आर0ओ0सिगनल

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

कृष्ण मुरारी सिन्हा,
पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

पुलिस उप-महानिरीक्षक(तु0नि0),
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 02/5/16

I.T. Manager (HQ)
2-5-16

प्रसंगः- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का ज्ञापांक-320/गो0 दिनांक-16.11.2012 ।

विषयः- बिहार पुलिस के वेबसाईट पर पत्र के साथ संलग्न संविदा पर नियोजन की सूचना को अपलोड करने के संबंध में।

....

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के आलोक में वितन्तु संगठन द्वारा सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना में भेजी गई है। इस सूचना को बिहार पुलिस के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई हेतु पत्र के साथ सूचना की छाया प्रति को संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नकः- यथोपरि

2095/AD
3/05/16

विश्वासभाजन,

02/05/16
(कृष्ण मुरारी सिन्हा),
पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
बिहार पुलिस रेडियो, पटना
गृह(आरक्षी)विभाग

सेवा निवृत कर्मियों का संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-29.3.2010 एवं 10000 दिनांक-10.7.2015 एवं गृह(आरक्षी)विभाग के पत्र संख्या-3685 दिनांक-27.5.2015 के आलोक में निहित निर्देशानुसार कार्यो को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पुलिस रेडियो संगठन में पुलिस निरीक्षक(तक0) की कोटि के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत पुलिस निरीक्षक (तक0) को निम्न शर्तो के तहत नियोजित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1. पुलिस निरीक्षक(तक0) -10 पद -(अनारक्षित-5, अनु0जाति-2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-3) गृह(आरक्षी)विभाग के पत्रांक-6350 दि0-3.9.2015 द्वारा रोस्टर क्लीयर है।

2. **सेवा की शर्ते:-**

(i) आवेदक को बिहार राज्य के अन्तर्गत पुलिस निरीक्षक(तकनीकी)वायरलेस के पद से सेवानिवृत होना चाहिए।

(ii) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि अगर आवेदक का चयन होता है तो कम से कम एक वर्ष के लिए उनका चयन हो सके। संविदा पर कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

(iii) संविदा के आधार पर प्रथमतः नियुक्ति 2(दो) वर्ष के लिए होगी तथा चयन प्रथम दो वर्षो अथवा 65 वर्ष आयु, इनमें से जो पहले हो, तक के लिए होगा। अधिकतम उम्र सीमा तक अवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षोपरान्त किया जा सकेगा।

(iv) नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा। सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(v) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियोजन के समय आवश्यक होगा।

(vi) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेगी एवं आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

(vii) नियोजित कर्मी को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता (सरकारी कार्य हेतु) नियमित सरकारी सेवक के तर्ज पर अनुमान्य होगा।

(viii) नियोजित कर्मियों की सेवायें राज्य भर में कहीं भी बिहार पुलिस रेडियो संगठन से संबंधित कार्यो के लिए ली जा सकेगी।

(ix) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(x) इच्छुक सेवानिवृत कर्मी द्वारा निम्न प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ आवेदन निबंधित डाक से पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),बिहार, पटना, पुलिस रेडियो, मुख्यालय, टी0एक्स0भवन, राजवंशी नगर,पटना-800023 के पते से विज्ञापन प्रकाशन के बाद निर्धारित तिथि 26.5.16 तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण पत्र/पी0पी0ओ0 की छाया प्रति(स्व अभिप्रमाणित) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। साथ

ही इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि इनके विरूद्ध कोई भी निगरानी/अपराधिक मामला न्यायालय में दर्ज नहीं है और सरकार के द्वारा कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है। विज्ञापन Website -WWW.Bih.Police.nic.In पर देखा जा सकता है।

2/5/16

(कृष्ण मुरारी सिन्हा),
पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

2013

पुलिस निरीक्षक(तक0) के पद पर संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नामः-

2. आवेदक के पिता/पति का नामः-

3. स्थायी पताः-

4. पत्राचार का पताः-

5. आवेदक के जन्म एवं सेवानिवृति की तिथिः-
(जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित पति एवं पी0पी0ओ0 की छाया प्रति संलग्न करे)
6. शैक्षणिक योग्यताः-
(सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे)
7. आरक्षण कोटिः-
(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे)
(आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा)
8. सेवानिवृत के समय धारित पद एवं कार्यालय का नामः-

9. सेवानिवृत के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे बैड/मंहगाई भत्ता एवं कुल प्राप्त होने वाली राशिः-

10. पेंशन की राशि+ सेवानिवृति के समय पेंशन राशि पर देय मँहगाई राहत की राशिः-

11. मोबाईल नम्बरः-

घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई सूचना से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही रद्द किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

....

नोटः- आवेदन सादे कागज पर स्वहस्तलिखित या टंकित करा कर भेजा जा सकता है।